दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 20 मार्च, 2023
उद्घोषित: 19 जुलाई, 2023

कं.या. 539/1998, कं.आ. 174/2018, 1506/2018, 696/2019, 698/2019, 772/2020, 132/2021, 658/2021, 780/2021, 789/2021, 434/2022, 718/2022, 61/2023 एवं 89/2023

मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा:

मैसर्स झालानी टूल्स इंडिया लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री रुचि सिंधवानी, व.स्थ.अ. सह सुश्री मेघा भरारा, शा.स. के अधिवक्ता। श्री बी.एल. वली, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता।

श्री संग्राम पटनायक, सुश्री स्वयं सिद्ध पटनायक, और श्री अमन गर्ग आई.डी.बी.आई. के अधिवक्तागण।

श्री ए.के. कोहली और श्री अंकुश शर्मा, कं.या. 174/2018 में गैर-आवेदक के अधिवक्तागण।

सुश्री नीरू वैद, फरीदाबाद, झालना और औरंगाबाद के कामगार की अधिवक्ता।

श्री दिनकर सिंह, श्री गगन गर्ग और श्री रोहित सिंह एआरसीआईएल के अधिवक्तागण।

श्री अमन वच्छर, श्री आशुतोष दुबे और श्री अमित कुमार, पूर्व-प्रबंधन के अधिवक्तागण।
श्री रमेश कुमार और श्री अभिषेक गुसाईं, बैंक ऑफ बड़ौदा/जमानती लेनदार के अधिवक्तागण।
श्री शिव चरण शर्मा, कामगार के अधिवक्तागण।
श्री रमेश कुमार, सि.अ. 1313/2018 में आवेदक के अधिवक्ता।
श्री अनिल नौरिया और सुश्री सुमिता हजारिका, कुंडली इकाई के अधिवक्तागण।
श्री हेमेन्द्र जेलिया, जालना वर्कर्स यूनियन के अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

निर्णय

न्या. संजीव नरूला

कं.आ. 1313/2018 *(उचित निर्देशों की मांग के लिए देना बैंक/सिक्योर्ड लेनदार की ओर से)*

1. 10 जुलाई 2018 को जारी किए गए स्पष्ट न्यायालयी निर्देशों के बावजूद, जिसमें शासकीय समापक ("**ओएल**") को कामगार के स्वीकृत दावों के लिए भुगतान चुकाने का निर्देश दिया गया था, स्थिति काफी हद तक अपरिवर्तित

बनी हुई है और ऐसे अधिकांश दावों का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। देना बैंक[1], एक जमानती लेनदार और बैंकों के समूह[2] ("**कंसोर्टियम**") के मुख्य बैंक द्वारा दायर किया गया उपरोक्त आवेदन, मामलों की वर्तमान स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देना बैंक का वर्तमान आवेदन परिसमापन वाली कंपनी अर्थात झालानी टूल्स इंडिया लिमिटेड ("**जेटीआईएल**" या "**कंपनी**") से संबंधित कुछ परिसंपत्तियों पर कंसोर्टियम के द्वितीय प्रभार से संबंधित है। उन्होंने प्राख्यान दिया है कि यह द्वितीय प्रभार उनके प्रथम प्रभार के बराबर है। परिणामस्वरूप, यह निर्णय देना बैंक के उपरोक्त प्रतिवाद को संबोधित करेगा, लेकिन साथ ही देना बैंक की उपरोक्त प्रार्थना का विरोध करते हुए, कंपनी के कामगार द्वारा प्रस्तुत बकाया राशि पर ब्याज के दावों से भी निपटेगा।

<u>वर्तमान गतिरोध की ओर ले जाने वाली घटनाओं का क्रम</u>

2. जेटीआईएल हाथ से चलने वाले उपकरण और अन्य स्टील और लोहे के उपकरणों के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई थी, जिसके छह कारखाने चार अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे - तीन फरीदाबाद में और एक-एक औरंगाबाद, जालना और कुंडली में। समय के साथ, इन सभी इकाइयों/कारखानों का संचालन बंद हो गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ("**टिस्को**") ने कंपनी को 9 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण मंजूर किया और इसे चुकाने में विफलता के कारण वर्तमान याचिका दायर की गई। समानांतर में, जेटीआईएल रुग्ण औद्योगिक कंपनी

(विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 ("**एसआईसीए**") के अनुसार कंपनी को 'रुग्ण औद्योगिक कंपनी' के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए मामला सं. 288/1987 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ("**बीआईएफआर**") के समक्ष गई थी।

<u>बीआईएफआर के समक्ष कार्यवाहियां</u>

3. बीआईएफआर कार्यवाही के दौरान, 1987 में एक पुनर्वास योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के अनुसरण में, दो वित्तीय संस्थानों, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ़ इंडिया ("**आईडीबीआई**") और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया ("**आईआईबीआई**") (एक साथ, "**वित्तीय संस्थान**" या "**एफआई**") ने क्रमशः 1 करोड़ रुपये और 1.56 करोड़ रुपये का सावधि ऋण (टर्म लोन) ("**टीएल**") मंजूर किया। इसके अतिरिक्त, उक्त योजना के हिस्से के रूप में, मार्च 1988 के बाद से, कंसोर्टियम ने कंपनी को लगभग 5.74 करोड़ रुपये के टीएल/कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (वर्किंग कैपिटल टर्म लोन) ("**डब्ल्यूसीटीएल**") सहित विभिन्न सुविधाएं स्वीकृत/जारी कीं। 1991 में, कंपनी ने 1983 में बनाए गए बंधक को अन्य बैंकों, अर्थात सिकॉम लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका के पक्ष में बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त, 1993 में, कंसोर्टियम ने लगभग 32 करोड़ रुपये की कुल सीमा के साथ नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट/पैकिंग क्रेडिट/खरीदे गए बिल/आईपीआरएस दावा बिल खरीद/लेटर ऑफ क्रेडिट आदि

जैसी अतिरिक्त सुविधाओं को मंजूरी दी। 1998 तक, कंपनी ने सिकॉम लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका की सारी बकाया राशि का भुगतान कर दिया था। परिणामस्वरूप, सिकॉम लिमिटेड ने कंपनी की गिरवी रखी गई विभिन्न अचल संपत्तियों के मूल स्वामित्व विलेख वापस कर दिए। बाद में बकाया ऋण सुरक्षित करने के लिए इन विलेखों को देना बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया।

कंपनी कोर्ट के समक्ष कार्यवाही का पुनरुद्धार

4. बीआईएफआर कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान कंपनी याचिका में सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 17 जुलाई 2000 को, बीआईएफआर ने एसआईसीए की धारा 20(2) के अंतर्गत जेटीआएल को बंद करने का सुझाव दिया। यह संदर्भ कं.या. 18/2001 के रूप में पंजीकृत किया गया था और परिणामस्वरूप इसे वर्तमान याचिका के साथ सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद, 01 मार्च 2003 को, वर्तमान याचिका को पुनर्जीवित किया गया, और 18 मार्च, 2003 के आदेश के अंतर्गत अंतरिम समापक के रूप में नियुक्त किए गए शासकीय समापक को इस न्यायालय के साथ संलग्न किया गया। शासकीय समापक ने जेटीआईएल से संबंधित विभिन्न संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया और न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत उनकी नीलामी की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	संपत्ति	कब्जे की तिथि	नीलामी की तिथि एवं राशि
1.	इकाई I- 10,11,12, नया औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद, हरियाणा	05.10.2004 को कब्जा लिया गया	* चल परिसंपत्तियां एवं भवन की नीलामी दिनांक 16.01.2014 के आदेश द्वारा 6,55,00,000/- रुपये में की गई। * अचल भूमि की नीलामी दिनांक 11.04.2022 के आदेश के अंतर्गत 43,82,28,090/- रुपये में की गई।
2.	इकाई II- 4, नया औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद, हरियाणा	07.10.2004 को कब्जा लिया गया	20.10.2005 एवं 11.08.2005 के आदेश के अंतर्गत 59 करोड़ में नीलामी की गई
3.	इकाई III - 1, 2, नया औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद, हरियाणा	07.10.2004 को कब्जा लिया गया	
4.	इकाई IV - नरेला रोड, ग्राम कुंडली जिला सोनीपत, हरियाणा	08.10.2004 को कब्जा लिया गया	
5.	इकाई-V - ई-29, 30, चिकलिथनु औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद	13.10.2004 को कब्जा लिया गया	

6.	इकाई-VI - सी-1, अति. औद्योगिक क्षेत्र, जालना और खुली भूमि ई-18 एवं ई-19	10.10.2004 को कब्जा लिया गया	

5. दिनांक 20 मई 2009 के आदेश के अनुसार, ओएल ने कंपनी के लेनदारों को अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हुए नोटिस जारी किया। समवर्ती रूप से, 25 मार्च 2011 को, न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस.एन. ढींगरा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति (**ढींगरा समिति**") का गठन किया जिन्हें कामगार द्वारा दायर दावों का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था। वन टाइम सेटलमेंट ("**ओटीएस**")[3] के संदर्भ में 14.64 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए फरीदाबाद में तीन इकाइयों के पूर्व प्रबंधन और 2018 कामगार के बीच एक समझौते पर सहमति हुई। कामगार का कुल बकाया 51.95 करोड़ रुपये आंका गया। इसके अतिरिक्त, एफआई और कंसोर्टियम सहित सभी जमानती लेनदारों का कुल बकाया 93.37 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था।

6. 25 मई 2011 को कंपनी को बंद करने का अंतिम आदेश जारी[4] किया गया। उसके बाद की अवधि में, ओएल ने जमानती लेनदारों और कामगार के बीच आनुपातिक वितरण निर्धारित करने के उद्देश्य से हितधारकों के साथ कई बैठकें कीं। ओएल ने मैसर्स एसएसएएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से

08 जनवरी, 2013 की एक आख्या ("**सीए आख्या**") भी प्राप्त की। इस समय के दौरान, देना बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ जमानती लेनदारों के साथ-साथ जमानती लेनदारों और कामगार के बीच आनुपातिक समान वितरण के अनुपात की गणना के लिए विभिन्न आवेदन दायर किए। गौरतलब है कि इन आवेदनों में से कं.आ. 302/2013 का निपटान 13 अगस्त 2013[5] को किया गया था और कं.आ. 2061/2013 को 03 अक्टूबर 2018 को वापस ले लिया गया था।

7. 08 मई 2017 को, इस न्यायालय द्वारा ओएल को एक व्यापक आख्या देने का निर्देश दिया गया था जिसमें ओएल के पास उपलब्ध धनराशि और कामगार और जमानती लेनदारों दोनों के बकाया का विवरण दिया गया था। एक साल बाद, 08 मई 2018 को, न्यायालय ने कहा कि आख्या दर्ज नहीं की गई थी और कामगार अपने 2018 को, न्यायालय ने कहा कि आख्या दर्ज नहीं की गई थी और कामगार अपने अवैतनिक बकाया प्राप्त करने के लिए विस्तारित अवधि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तर में, ओएल ने 06 जुलाई 2018 को शा.सम.आख. सं. 165/2018 दायर की, जिसमें कामगार और जमानती लेनदारों दोनों को देय राशि की गणना प्रदान की गई। इसके बाद, न्यायालय ने 10 जुलाई 2018 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> *"**<u>शा.सम.आख. 165/2018</u>***
>
> *यह शासकीय समापक आख्या (रिपोर्ट) इस न्यायालय के दिनांक 8.5.2018 के आदेश के अनुसार दायर की गई है। इस*

आख्या की प्रति कामगार, जमानती लेनदारों और पूर्व प्रबंधन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले ओएल का कहना है कि कामगार के स्वीकृत दावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और उन कामगार को भुगतान चार सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा जो आवश्यक विवरण प्रदान करेंगे। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि ब्याज के मुद्दे के संबंध में, जिसका कुछ कामगार दावा कर रहे हैं, उस पहलू पर अचल संपत्ति की बिक्री के बाद विचार किया जा सकता है, जिसे अभी बेचा जाना है। आख्या को अभिलेख पर लिया जाता है और उसका निपटान किया जाता है।"

8. बाद में, ओएल के कार्यालय ने शा.सम.आख सं. 165/2018 के आधार पर आंकड़ों की पुनर्गणना की और 24 अगस्त 2018 को कामगार के प्रतिनिधियों और जमानती लेनदारों की एक बैठक बुलाई। भुगतान की गणना प्रथम प्रभार धारकों और कामगार के साथ समान वितरण के सिद्धांत पर की गई थी, जिसे देना बैंक सहित सभी संबंधित पक्षकारगण ने स्वीकार कर लिया था। इस बैठक के बाद, ओएल ने सहमत गणनाओं के आधार पर सि.अ. सं. 1103/2018 दायर की, जिसमें सभी हितधारकों के बीच भुगतान के वितरण की अनुमति देने के लिए इस न्यायालय से निर्देश मांगे गए। न्यायालय ने 19 सितंबर 2018 को इस अनुरोध पर विचार किया और शासकीय समापक को संयंत्र और मशीनरी, और भूमि और भवन की सुरक्षा रखने वाले जमानती लेनदारों को 4,53,85,682/- रुपये का भुगतान करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, शासकीय समापक को कंपनी के माल या स्टॉक पर प्रभार रखने वाले जमानती लेनदारों को

71,83,976/- रुपये का भुगतान वितरित करने के लिए भी अधिकृत किया गया था।

9. हालांकि, भुगतान पूरी तरह से वितरित होने से पहले, वर्तमान आवेदन अक्टूबर 2018 को दायर किया गया था, जिसने वितरण प्रक्रिया को रोक दिया था।

10. देरी को देखते हुए, न्यायालय ने 13 दिसंबर 2018 को, विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के प्रयास में कामगार के प्रतिनिधियों और जमानती लेनदारों को ओएल से मिलने का निर्देश दिया। प्रयासों के बावजूद, पक्षकारगण के बीच असहमति के कारण बैठकें अनिर्णायक रहीं। इसके बाद, 19 मार्च 2019 को, शा.सम.आख. सं. 95/2019 के उत्तर में, न्यायालय ने कामगार के बकाया भुगतान के संबंध में चल रहे विवाद का संज्ञान लिया और निम्नलिखित आदेश पारित किया:

> *"**<u>शा.सम.आख. 95/2019</u>***
>
> *शासकीय समापक के विद्वान अधिवक्ता ने बयान दिया है कि देना बैंक/जमानती लेनदार के साथ हुई बैठक के अनुसार, एक नई गणना की गई है और यह शीघ्र ही तीन दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी और इसकी एक अग्रिम प्रति देना बैंक/जमानती लेनदार के विद्वान अधिवक्ता को सौंप दी जाएगी।*
>
> *कामगार के बकाये के भुगतान को लेकर विवाद है। इस संबंध में, शासकीय समापक ने शा.सम.आख. 95/2019 नामक एक आख्या दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस न्यायालय के दिनांक 19.09.2018 के*

आदेश के अनुपालन में, ओएल ने नवंबर 2018 में जालना इकाई के 207 और औरंगाबाद इकाई के 56 कामगार को भुगतान किया है। जालना इकाई के 126 कामगार का एक और भुगतान प्रेषण के लिए तैयार है लेकिन जमानती लेनदारों और कामगार के बीच विवादों के कारण इसे भेजा नहीं जा सका।

मेरा ध्यान 01.02.2019 को जालना इकाई और कुंडली इकाई के कामगार के लिए ओएल, जमानती लेनदारों और विद्वान अधिवक्ता के बीच हुई बैठक की ओर आकर्षित किया गया है। बैठक के कार्यवृत्त का पैरा 3 निम्नानुसार है:

> *"3. देना बैंक के प्रतिनिधि ने एक गणना प्रस्तुत की है और उस गणना के अनुसार वह पूर्व कामगार (गैर-ओटीएस) को 6,97,48,399/- रुपये और ओटीएस कामगार को 3,73,71,299/- रुपये की राशि वितरित करने पर सहमत हुआ है। साथ ही उक्त गणना में उसने वित्तीय संस्थानों को आईएफसीआई के 1,40,10,047/- रुपये और आईडीबीआई के 89,86,891/- रुपये का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया। उसके इस प्रस्ताव से सि.अ. सं. 1313/2018 के लंबित न्यायनिर्णयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।*

ओएल देना बैंक/जमानती लेनदार के प्रतिनिधि द्वारा किए गए उपरोक्त अनुरोध को ध्यान में रख सकता है और केवल कामगार के बकाया भुगतान के संबंध में तदनुसार कदम उठा सकता है।

आख्या का निपटान किया जाता है"।

11. ओएल ने 14 और 16 जनवरी और 1 फरवरी 2019 को हुई बैठकों के कार्यवृत्त को शा.सम.आख. सं. 95/2019 के साथ प्रस्तुत किया। इस कार्यवृत्त से पता चलता है कि सभी हितधारक इन बैठकों में उपस्थित थे। हमने देखा है कि

गणना के संबंध में कुछ असहमतियों के बावजूद, देना बैंक के प्रतिनिधि ने कामगार, आईएफसीआई और आईडीबीआई को संवितरण योजना पर सहमति व्यक्त की।

<u>आवेदक-बैंक के तर्क</u>

12. देना बैंक/कंसोर्टियम के पास कंपनी की अचल संपत्तियों और अचल परिसंपत्तियों पर 5.74 करोड़ रुपये के टीएल/डब्ल्यूसीटीएल के संबंध में प्रथम प्रभार, जो वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए टीएल के समान है, और 32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में द्वितीय प्रभार है। आवेदक-बैंक का तर्क है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 ("**अधिनियम**") के अंतर्गत कामगार के हिस्से की गणना के उद्देश्य से द्वितीय प्रभार के अंतर्गत देय राशि को प्रथम प्रभार के अंतर्गत देय राशि के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और फिर कुल राशि की तुलना कामगार को देय राशि से की जानी चाहिए। वे ओएल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर विवाद करते हैं जिसके अंतर्गत कामगार को देय आनुपातिक हिस्सेदारी की गणना करने के लिए केवल प्रथम प्रभार के लिए देय राशि को ध्यान में रखा गया है। इस तर्क के समर्थन में, देना बैंक ***संदर्भ में: बोकियू टेनरीज़ लिमिटेड*** [6] मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देता है, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं:

"20. अधिनियम की धारा 529 और 529क के प्रयोजन के लिए, द्वितीय प्रभार वाले लोगों सहित सभी जमानती लेनदारों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और उनके दावों में अंतर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, सभी कामगार के दावों की गणना की जानी है और तदनुसार अधिनियम की धारा 529(3) और 529क के अनुसार, उसमें निर्दिष्ट परिमाण और अनुपात में भुगतान किया जाना है।"

13. इन टिप्पणियों के आधार पर, देना बैंक का तर्क है कि उपबंधों की शाब्दिक व्याख्या के माध्यम से कोई अंतर नहीं किया गया है, अधिनियम की धारा 529 और 529क के अनुसार गणना के प्रयोजनों के लिए सभी प्रभारों को बराबर माना जाना चाहिए।

<u>विश्लेषण</u>

14. वर्तमान आवेदन शब्दबहुल है और लगभग 100 पृष्ठों का है और इसमें दोहरावदार प्रतिवाद शामिल हैं। इनमें यह आरोप भी शामिल है कि ओएल ने पक्षपात और द्वेष से काम किया, जिससे कंसोर्टियम को उसके उचित देय से वंचित होना पड़ा। हालांकि, इन विवादों को सुनवाई के दौरान नहीं उठाया गया था, और इसलिए इन पर ध्यान नहीं दिया गया। प्राथमिक तर्क इस प्रकार है: आनुपातिक शेयरों की गणना के लिए जमानती लेनदारों पर बकाया संपूर्ण बकाया राशि की गणना कामगार पर बकाया राशि के मुकाबले एक इकाई के रूप में की जानी चाहिए। इस गणना में अधिनियम की

धारा 529 के अंतर्गत विभिन्न लेनदारों द्वारा रखे गए प्रथम और द्वितीय प्रभारों के बीच अंतर को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिनियम इस तरह के भेदभाव के लिए प्रदान नहीं करता है।

(I) <u>अधिनियम की धारा 529क के संबंध में द्वितीय प्रभार</u>

15. अभिलेख पर मौजूद अभिवाकों का पुनर्विलोकन करने पर, यह सामने आता है कि वित्तीय संस्थान, अर्थात, आईएफसीआई (आईआईबीआई का समनुदेशिती) और आईडीबीआई, कंपनी की छह इकाइयों की भूमि, भवन और संयंत्र और मशीनरी पर प्रथम प्रभार रखते हैं। देना बैंक का तर्क है कि इसी तरह कंसोर्टियम लगभग 5.74 करोड़ रुपये के अपने सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी सावधि ऋण से संबंधित छह इकाइयों की भूमि, भवन और संयंत्र और मशीनरी पर प्रथम प्रभार रखता है। इसके अतिरिक्त, देना बैंक का सुझाव है कि कंसोर्टियम के पास लगभग 32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में द्वितीय प्रभार भी है। कंसोर्टियम का प्रथम प्रभार स्टॉक और माल से संबंधित है और द्वितीय प्रभार छह संपत्तियों से जुड़ी भूमि, भवन और संयंत्र और मशीनरी पर लगाया गया है। इस तथ्यात्मक विवाद के बावजूद, वर्तमान उद्देश्यों के लिए, न्यायालय यह न्यायनिर्णय कर रहा है कि क्या कंसोर्टियम के द्वितीय प्रभार को उनके प्रथम प्रभार के साथ-साथ वित्तीय

संस्थानों द्वारा देय राशि के समान वितरण के उद्देश्य से रखे गए प्रभार के समतुल्य माना जा सकता है।

16. ओएल द्वारा समान शेयरों, कामगार की देय राशि और प्रथम प्रभार रखने वाले जमानती लेनदारों के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति को प्राथमिकता दी गई। ओएल का कहना है कि पर्याप्त धन की उपलब्धता को देखते हुए, कामगार और प्रथम प्रभार जमानती लेनदारों की देय स्वीकृत राशि का पूरा निपटान किया जा सकता है। इसके बाद, शेष राशि द्वितीय प्रभार धारक के ऋण के लिए वितरित की जानी है। ओएल के अनुसार, द्वितीय प्रभार धारकों के पूर्ण भुगतान के लिए शेष राशि पर्याप्त नहीं है, जिससे द्वितीय प्रभार वाले जमानती लेनदारों के लिए आनुपातिक भुगतान की गणना की जा रही है।

17. न्यायालय की राय में, कामगार के दावों के ऊपर अपने दावों को प्राथमिकता देने के देना बैंक के प्रयास में वैध आधार का अभाव है। वे यह तर्क नहीं दे सकते कि कंसोर्टियम के द्वितीय प्रभार को उनके प्रथम प्रभार के साथ मिला दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थितियों में जहां जमानती लेनदार प्रथम और द्वितीय दोनों प्रभार रखते हैं, जैसे देना बैंक/कंसोर्टियम के मामले में, द्वितीय प्रभार से जुड़ा ऋण प्रथम प्रभार के अंकित मूल्य के समान नहीं हो सकता है। धारा 529 और 529क के प्रयोजनों के लिए इन प्रभारों को मिलाना लेनदार के लिए अनुचित होगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रथम प्रभार वाले जमानती लेनदारों के अधिकार प्रभावित होंगे। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा

529क को लागू करने में विधायिका का अंतर्निहित इरादा लेनदारों, विशेष रूप से जमानत के विभिन्न रैंक रखने वालों के बीच प्राथमिकता के आदेश की हेराफेरी को रोकना था। यहां एक "बास्केट" के निर्माण अर्थात् प्रथम प्रभार और द्वितीय प्रभार ऋण दोनों को समाहित करने की अनुमति देना, द्वितीय प्रभार से जुड़े ऋण को अलग करना लगभग असंभव बना देगा। यह संभावित रूप से कानून के उद्देश्य को दुर्बल कर सकता है और अधिनियम की धारा 529क के उद्देश्य को बाधित कर सकता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों के लेनदारों के बीच परिसंपत्ति का उचित और व्यवस्थित वितरण हो। इसके अतिरिक्त, इस तरह की प्रथा की अनुमति देने से हेरफेर का द्वार खुल सकता है, क्योंकि अलग-अलग प्रभार रखने वाला लेनदार परिसंपत्ति वितरण प्रक्रिया के दौरान अन्य लेनदारों पर कम रैंक वाले दावे को प्राथमिकता दे सकता है। यह उन न्यायसंगत सिद्धांतों को महत्वपूर्ण रूप से निष्फल कर देगा जो दिवालियापन विधियों की नींव बनाते हैं। इसलिए, कानूनी ढांचे की अखंडता को बनाए रखने और सभी लेनदारों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम की धारा 529 और 529क के अंतर्गत समान वितरण के सिद्धांत को लागू करते समय प्रथम और द्वितीय प्रभार धारकों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।

18. ***जितेंद्र नाथ सिंह बनाम शासकीय समापक और अन्य*** [7] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने समापन कार्यवाही में, विशेष रूप से अधिनियम

में 1985 के संशोधन[8] ("**1985 संशोधन**") के प्रकाश में, दावों और प्रभारों के विशिष्ट अधिक्रम पर विस्तार से बताया है। उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक जमानती लेनदार कंपनी की एक विशिष्ट परिसंपत्ति या संपत्ति पर पूरी तरह से प्रभार रखता है, जो उनकी जमानती संपत्ति है। अधिनियम की धारा 529(1)(ग) के उपबंधों के पहले अंग के अंतर्गत कामगार के पक्ष में एक कानूनी प्रभार स्थापित किया गया है, जो एक कंपनी से कामगार के बकाया को सम्मिलित करता है। यह प्रभार प्रत्येक जमानती लेनदार के लिए समान है और कंपनी के किसी भी जमानती लेनदार की सुरक्षा के सापेक्ष कामगार के हिस्से तक फैला हुआ है, जैसा कि अधिनियम की धारा 529(3)(ग) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसलिए, लेनदारों के पक्ष में जमानत के रूप में पेश की गई प्रत्येक संपत्ति पर कामगार के पक्ष में एक समान प्रभार लगाया जाता है, जो जमानती लेनदारों के समतुल्य होता है। इस व्याख्या का तात्पर्य है कि, अधिनियम की धारा 529 और 529क के अंतर्गत, जेटीआईएल के कामगार जेटीआईएल की परिसंपत्तियों पर जमानती लेनदारों के प्रथम प्रभार के बराबर समान अधिकार रखते हैं। परिणामस्वरूप, कामगार के स्वीकृत दावों का भुगतान कंसोर्टियम द्वारा रखे गए द्वितीय प्रभार के विरुद्ध देय राशि की तुलना में प्राथमिकता से किया जाएगा।

19. इसके अतिरिक्त, धारा 529 और 529क की देना बैंक की व्याख्या को स्वीकार करना दो महत्वपूर्ण विधायी उपबंधों को प्रभावी रूप से दुर्बल कर देगा। सबसे पहले,

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 ("टीपी अधिनियम") की धारा 48, जो प्रभारों का एक स्पष्ट अधिक्रम स्थापित करती है। दूसरे, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529, जो परिसमापन में कंपनी में कामगार के योगदान को स्वीकार करने के लिए अधिनियमित एक कल्याणकारी उपबंध है। अधिनियम की धारा 529 लेनदारों के रूप में कामगार की विशेष स्थिति को मान्यता देती है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। प्रथम और द्वितीय प्रभार के समामेलन की अनुमति देने से निम्नतर प्रभार के विरुद्ध जमानती लेनदारों की देय राशि में वृद्धि हो सकती है, जिससे कामगार के हितों को खतरे में डाला जा सकता है और इस विधायी उपबंध का उद्देश्य निरर्थक हो सकता है। समापन कार्यवाहियों में स्पष्ट विधायी मंशा और दावों के स्थापित अधिक्रम को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह परिसंपत्तियों का निष्पक्ष और उचित वितरण सुनिश्चित करता है और विभिन्न हितधारकों, विशेषकर कामगार के हितों की रक्षा के लिए किए गए सुरक्षा उपायों को बनाए रखता है। प्रथम और द्वितीय प्रभार धारकों के बीच अंतर को धुंधला करने से परिसंपत्तियों का अन्यायपूर्ण वितरण होगा और सभी

हितधारकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए विधायी उपबंधों का उद्देश्य दुर्बल हो जाएगा।

20. जमानती लेनदारों के दो समूहों के बीच प्राथमिकता को ***आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम सिडको लेदर्स लिमिटेड और अन्य*** [9] के निर्णय में स्पष्ट किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के जमानती लेनदारों के बीच संबंधों को संबोधित किया और उनके संबंधित अधिकारों और प्राथमिकताओं को निर्धारित किया। न्यायालय को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों के परीक्षण करने का काम सौंपा गया था:

क) क्या अधिनियम की धारा 529क के अंतर्गत जमानती लेनदारों के विभिन्न समूहों के

बीच प्राथमिकता के अधिकार कम हो गए हैं।

ख) क्या टीपी अधिनियम की धारा 48 को अधिनियम की धारा 529-क द्वारा अध्यारोहित किया गया है।

21. इस विषय पर विधि का विश्लेषण करने के बाद, यह देखा गया कि प्रथम प्रभार धारक का दावा द्वितीय प्रभार धारक के दावे पर निम्नानुसार अभिभावी होगा:

> *"44. कंपनी अधिनियम की धारा 529(1)(ग) जमानती लेनदारों के संबंधित अधिकारों के बारे में बात करती है जिसका अर्थ गैर-*

जमानती लेनदारों की तुलना में जमानती लेनदारों के संबंधित अधिकार होंगे। यह जमानती लेनदारों के बीच संबंधित अधिकारों की परिकल्पना नहीं करता है। केवल इसलिए कि धारा 529 विशेष रूप से बंधक संपत्तियों पर प्राथमिकताओं के अधिकारों के लिए प्रदान नहीं करती है, तो हमारी राय में, इसका मतलब यह नहीं होगा कि किसी कंपनी, जिसका परिसमापन हो चुका है, के संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 48 के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे।

45. यदि हम यह स्वीकार कर लें कि केवल सार्वजनिक नोटिस का जवाब देने से जमानती लेनदारों की पारस्परिक प्राथमिकता समाप्त हो जाती है, जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि ऐसा करने में विफल रहने पर, उसे शासकीय समापक द्वारा वितरित किए जाने वाले लाभांश के लाभों से बाहर रखा जाएगा, इससे जमानती लेनदार सुरक्षा पर अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा और यह उसे एक गैर-जमानती लेनदार के समतुल्य ले आएगा। इस तरह के निष्कर्ष का तार्किक अनुक्रमक यह होगा कि गैर-जमानती लेनदारों को भी जमानती लेनदारों के बराबर रखा जाएगा। यह विधान का उद्देश्य नहीं हो सकता था। कंपनी अधिनियम के उपबंध एक विशेष कानून हो सकते हैं लेकिन यदि विशेष कानून में विभिन्न प्रकार के जमानती लेनदारों के बीच संविदात्मक और अन्य कानूनी अधिकारों से संबंधित कोई विशिष्ट उपबंध शामिल नहीं है, तो सामान्य कानून में निहित विशिष्ट उपबंध अभिभावी होंगे।

21. जैसा कि उपरोक्त अंश से देखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बंधक संपत्तियों पर प्राथमिकता अधिकारों के संबंध में अधिनियम की धारा 529 में स्पष्ट उपबंधों की अनुपस्थिति कंपनी परिसमापन के मामलों में टीपी अधिनियम की धारा 48 के अनुप्रयोग को बाहर नहीं करती

है। न्यायालय ने तर्क दिया है कि यदि जमानती लेनदारों के पारस्परिक प्राथमिकता अधिकारों की अवहेलना की गई, तो इसके परिणामस्वरूप उन्हें लाभांश वितरण से बाहर कर दिया जाएगा और उनके साथ गैर-जमानती लेनदारों के रूप में अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। यह जमानती लेनदार को जमानत पर उनके अधिकारों से अन्यायपूर्ण ढंग से वंचित कर देगा, जो निश्चित रूप से विधायिका का इरादा नहीं है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 1956 एक विशेष कानून है, फिर भी यह विभिन्न प्रकार के जमानती लेनदारों के बीच संविदात्मक और कानूनी अधिकारों को विशेष रूप से संबोधित नहीं करता है। इस प्रकार, टीपी अधिनियम जैसे सामान्य कानून में उल्लिखित विशिष्ट उपबंधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह व्याख्या प्रभारों के अधिक्रम को संरक्षित करती है और अधिनियम और टीपी अधिनियम दोनों द्वारा परिकल्पित विभिन्न जमानती लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करती है।

22. हालांकि ***बोकियू टैनरीज़*** (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय में ***आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) के निर्णय का संदर्भ दिया गया है, तथापि, न्यायालय की व्याख्या ***आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) के जमानती लेनदारों के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई समझ से विलग प्रतीत होती है। ***बोकियू टैनरीज़*** (पूर्वोक्त) ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 529 और 529क लेनदारों के दो वर्ग बनाती है -

कामगार और जमानती लेनदार (चाहे उनके पास प्रथम प्रभार हो या द्वितीय प्रभार)। यह दृष्टिकोण ***आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए सूक्ष्म अंतर को नजरअंदाज करता है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रथम प्रभार धारक के अधिकारों को द्वितीय प्रभार धारक के अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है। ***बोकियू टेनरीज़*** (पूर्वोक्त) में प्रस्तुत व्याख्या जो बताती है कि अधिनियम की धारा 529 और 529क सभी जमानती लेनदारों के साथ समान व्यवहार करती है, भले ही उनके पास प्रथम प्रभार हो या द्वितीय, ***आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत प्रतीत होती है। ***आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में, उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित नहीं किया कि सभी जमानती लेनदार समान हैं। इसके बजाय, यह स्वीकार किया गया कि जबकि अधिनियम स्पष्ट रूप से प्रथम और द्वितीय प्रभार धारकों के बीच अंतर नहीं करता है, यह टीपी अधिनियम द्वारा परिभाषित मौजूदा अधिकारों और अधिक्रम को समाप्त नहीं करता है। इस प्रकार, ***बोकियू टेनरीज़*** (पूर्वोक्त) में दी गई व्याख्या ***आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और व्याख्या के साथ संरेखित नहीं है, जिसमें द्वितीय प्रभार धारकों पर प्रथम प्रभार धारकों के अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया गया था। इसलिए, देना बैंक की ***बोकियू टेनरीज़*** (पूर्वोक्त) पर निर्भरता गलत है।

23. ***आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में उपरोक्त चर्चा और अभिनिर्धारण को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम और द्वितीय प्रभार धारकों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। द्वितीय प्रभार धारक की आपत्ति को मान्य ठहराने से प्रथम प्रभार धारक की प्राथमिकता खत्म हो जाएगी, जो टीपी अधिनियम की धारा 48 के उपबंधों के विरुद्ध होगा। इस मुद्दे पर ओएल की स्थिति, जैसा कि इसकी अनुपालन आख्या शा.सम.आख. सं. 109/2019 के पैराग्राफ 10 में कहा गया है, इस प्रकार स्वीकार की जाती है।

24. उपरोक्त मुद्दे को हल करने के बाद, अपरिहार्य परिणाम वर्तमान आवेदन को खारिज करना है। हालांकि, न्यायालय का मानना है कि एक साधारण अस्वीकृति अपर्याप्त होगी क्योंकि देना बैंक ने कार्यवाही में महत्वपूर्ण देरी की है, जिससे कर्मकारण अपने उचित बकाये से वंचित हो गए हैं। इस प्रकार, बैंक के आचरण के लिए जुर्माने अधिरोपित करना आवश्यक हो जाता है।

(II) <u>जुर्मानों का अधिरोपण</u>

26. एक गलत विधिक आधार पर दावों के वितरण पर विवाद करने के अतिरिक्त, आवेदक-बैंक पूर्व-प्रबंधन और फरीदाबाद इकाइयों के कामगार के बीच ओटीएस के वितरण को दी गई प्राथमिकता के साथ-साथ ओटीएस की वैधता को भी चुनौती देता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फरीदाबाद इकाइयों के कामगार को भुगतान इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 3 सितंबर, 2014 के

एक आदेश के माध्यम से अनुमोदित समझौते के आधार पर किया गया था, जिसमें आवेदक-बैंक स्वयं एक पक्ष था। वास्तव में, आवेदक-बैंक ने फरीदाबाद इकाइयों के कामगार के साथ उक्त समझौते के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था क्योंकि इसमें कंपनी के खाते में धनराशि (ब्याज के साथ) की वापसी शामिल थी, जिसे पहले ओएल द्वारा कॉमन पूल फंड में स्थानांतरित कर दिया गया था। चूंकि कंपनी के खाते में इन निधियों की वापसी से कंसोर्टियम को लाभ होगा, इसलिए उसने ओटीएस राशि के वितरण के लिए बनाई गई विशेष व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। इस तथ्य को स्वयं आवेदक-बैंक ने वर्तमान आवेदन के पैराग्राफ 63 में स्वीकार किया है। आवेदक-बैंक द्वारा अपनाया गया विरोधाभासी रुख स्पष्ट रूप से चल रही कार्यवाही में उनके अवरोधक रुख को दर्शाता है।

27. कार्यवाही के दौरान, शा.सम.आख. सं. 165/2018 में उल्लिखित भुगतानों को लागू करने के लिए देना बैंक सहित जमानती लेनदारों के बीच एक आपसी करार हुआ। यह समझ 24 अगस्त, 2018 की बैठक के कार्यवृत्त से प्रमाणित होती है, जिस पर देना बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री राहुल प्रताप द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, आवेदक-बैंक ने इस प्रतिबद्धता से पीछे हटने का विकल्प चुना है। इस प्रकार, कामगार को बकाया राशि जारी करने में देरी के लिए केवल आवेदक-बैंक/कंसोर्टियम के कार्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आवेदक-बैंक ने पहले सि.अ. सं. 2061/2013 दायर किया था, जिसमें

परिसमापन व्यय की वापसी और वित्तीय संस्थानों और कंसोर्टियम के बीच विक्रय आय के वितरण की मांग की गई थी। हालांकि, बाद में यह आवेदन वापस ले लिया गया। 10 जुलाई, 2018 को, न्यायालय ने ओएल के बयान पर ध्यान दिया कि कामगार के स्वीकृत दावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी, और भुगतान चार सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया। इस निर्देश और सि.अ. सं. 2061/2013 को वापस लेने के बावजूद, वर्तमान आवेदन दायर किया गया था। 13 दिसंबर, 2018 को न्यायालय ने पाया कि देना बैंक द्वारा वर्तमान आवेदन दाखिल करने के कारण भुगतान के वितरण में अनावश्यक रूप से देरी हो रही थी। न्यायालय ने बकाया भुगतान के संबंध में सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सभी हितधारकों के बीच एक बैठक करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद ओएल और इसमें शामिल पक्षकारगण के बीच बैठकें हुईं, लेकिन इन चर्चाओं से मौजूदा मुद्दों का कोई निश्चित समाधान नहीं निकला। परिणामस्वरूप, आवेदक-बैंक ने प्रथम प्रभार धारकों, अर्थात् कामगार और उनके स्वीकृत दावों को विधि द्वारा दी गई सर्वोपरि प्राथमिकता को कम करने का प्रयास करके जानबूझकर देरी की है।

28. उपरोक्त कारणों से, वर्तमान आवेदन को कंसोर्टियम पर 10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जिसे निर्णय में बाद में जारी निर्देशों के अनुसार जमा किया जाना है।

(III) <u>मजदूरी पर ब्याज के लिए कामगार का दावा</u>

29. न्यायालय अब बकाया वेतन पर ब्याज के दावे का विश्लेषण करेगा, जो औरंगाबाद, जालना और फरीदाबाद इकाइयों के कर्मकार संघों द्वारा उठाया गया है। उपरोक्त पक्षकारगण लंबित मजदूरी पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा करते हैं, जिसकी गणना भुगतान की सूचना की तिथि से समापन की तिथि तक की जाती है, जैसा कि जमानती लेनदारों पर लागू होता है। इस मुद्दे पर, ***संदर्भ में: क्रिप्स लेबोरेटरीज लिमिटेड***[10] पर भरोसा किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

> *"14. .... सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, एक कर्मकार को जमानती लेनदार के साथ सह-प्रभार धारक के रूप में माना जाता है और इसलिए, वह परिसमापन वाली कंपनी की परिसंपत्तियों से उसी ब्याज दर का दावा करने का हकदार होगा जैसा कि जमानती लेनदार द्वारा संविदित किया गया है, जो वर्तमान मामले में, 15% प्रति वर्ष है। इस प्रश्न को दूसरे नजरिये से भी परखा जा सकता है। जमानती लेनदार को देय बकाया राशि, जिसमें संविदित ब्याज दर भी शामिल है, कंपनी अधिनियम की धारा 529-क के अंतर्गत एक कर्मकार को किए जाने वाले अधिमान्य भुगतान पर असर डालती है। अक्सर, परिसमापन वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के विक्रय पर शासकीय समापक द्वारा प्राप्त राशि, जमानती लेनदारों और कामगार के पूरे बकाया को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है, जिससे उन्हें उपलब्ध राशि का समान रूप से भुगतान करना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी जमानती लेनदार का देय कुल बकाया बढ़ जाता है, तो कामगार के*

बकाया के पुनर्भुगतान के लिए उपलब्ध आनुपातिक राशि कम हो जाती है। एस.बी.आई. के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री के. गोपालारिश्ना मूर्ति के तर्क को स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि, जबकि जमानती लेनदार को पुनर्भुगतान की तिथि तक संविदित दर पर मूलधन और ब्याज चुकाया जाएगा, कामगार का बकाया केवल मूलधन तक ही सीमित रहेगा और वे अपने बकाये पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे। कामगार के बकाये को जमानती लेनदारों के बकाये के बराबर मानने के लिए धारा 529-क को शामिल करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

15. <u>इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि चूंकि कामगार अपने बकाये को जमानती लेनदार के ऋण के समान रखने के हकदार हैं, इसलिए वे, जमानती लेनदार के बराबर, ब्याज की संविदित दर पर ब्याज के भुगतान के हकदार होंगे, जिसे जमानती लेनदार</u> परिसमापन वाली कंपनी की परिसंपत्तियों की विक्रय आय का उस सीमा तक दावा करने का हकदार है, जिस सीमा तक वह ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रभार रखता है।

[जोर दिया गया]

30. फरीदाबाद, जालना और औरंगाबाद इकाइयों के कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता सुश्री नीरू वैद का प्राख्यान है कि अधिनियम की धारा 529क के अंतर्गत, कामगार को ब्याज प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जमानती लेनदारों के बराबर माना जाता है। उनका तर्क है कि ब्याज देने में विफलता न केवल धारा 529क के पीछे के निहित विधायी उद्देश्य को गलत समझेगी बल्कि इसके परिणामस्वरूप न्याय भी निष्फल होगा। इसके अतिरिक्त, सुश्री वैद का तर्क है कि केवल जमानती लेनदारों को ब्याज देने से

उन्हें दोहरा लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कामगार को काफी समय तक उनके उचित वेतन से वंचित रखा गया है, और जमानती लेनदारों को इसे प्रदान करते समय उन्हें ब्याज देने से इनकार करने से धन के

वितरण में असंतुलन पैदा होगा। इन तर्कों के आलोक में, सुश्री वैद अधिनियम की धारा

529क के उपबंधों के अनुसार निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करने के लिए कामगार को ब्याज देने के महत्व पर जोर देती हैं।

31. ब्याज की पात्रता के संबंध में उपरोक्त राहत की मांग करने वाले कामगार की ओर से कोई औपचारिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब जेटीआईएल के विरुद्ध दावे आमंत्रित किए गए, तो कामगार ने अपने दावे प्रस्तुत किए, जिनका बाद में ढींगरा समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया गया और अनुमोदित किया गया। कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 156-178 ("**नियम**") ब्याज के दावों को संसाधित करने की प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं, जब इसे स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। नियमों का नियम 163, ऋण स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद ओएल द्वारा निर्णय लिया जाता है। यदि इस निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो लेनदार, इस मामले में, कामगार, के पास कंपनी न्यायाधीश के समक्ष नियम 164 के अंतर्गत अपील दायर करने का विकल्प है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कामगार ने इन नियमों के अंतर्गत

ब्याज के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया है और इस समय उन्हें इसे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

32. सुश्री वैद द्वारा भरोसा किया गया ***क्रिप्स लैबोरेटरीज*** (पूर्वोक्त) मामले का निर्णय वर्तमान विवाद में सीमित सहायता प्रदान करता है। जबकि उपरोक्त निर्णय कामगार को मूल राशि पर जमानती लेनदारों को देय ब्याज की संविदात्मक दर के समान दर पर ब्याज देता प्रतीत होता है, यह ऐसी ब्याज दर देने के लिए कोई कानूनी उपबंध या विधिक आधार स्थापित नहीं करता है। यह निर्णय उस मामले में शामिल विशिष्ट परिस्थितियों और संविदात्मक उपबंधों में दिया गया है और वर्तमान मामले के लिए एक उदाहरण के रूप में इस पर निर्णायक रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है।

33. इसके अतिरिक्त, सुश्री वैद द्वारा संदर्भित एक अन्य निर्णय - ***टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनाम जुबली मिल्स का शासकीय समापक***[1], उचित रूप से स्थापित करता है कि समापन की तिथि के बाद जमानती लेनदारों या कामगार को कोई ब्याज (नियम 179 के अंतर्गत बाद के ब्याज के अतिरिक्त) नहीं दिया जा सकता है। उस मामले में न्यायालय ने उन कामगार को ब्याज देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने जमानती लेनदारों के समान दर पर भुगतान की मांग की थी, क्योंकि न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई संविदा या कानूनी उपबंध पेश नहीं किया गया था जो इस तरह के ब्याज भुगतान का समर्थन करता हो।

34. जमानती लेनदारों के सुविधा दस्तावेजों में उल्लिखित संविदात्मक उपबंध उनके ब्याज की पात्रता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी ओर, कामगार अपने अतिदेय वेतन या अन्य पारिश्रमिक पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई तुलनीय संविदात्मक अनुबंध या कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं करते हैं। ब्याज के लिए उनका दावा इक्विटी पर आधारित है, जो न्यायालय के लिए इस तरह के दावे को मंजूरी देने के लिए पर्याप्त आधार के रूप में काम नहीं कर सकता है। जब तक संविदा के निबंधनों के अनुसार ऋण पर स्पष्ट रूप से ब्याज नहीं लगता, प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत उल्लिखित विशिष्ट स्थितियों को छोड़कर, ब्याज नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, ब्याज के भुगतान का समर्थन करने वाले वैध संविदात्मक उपबंध या कानूनी आधार के बिना, और कामगार के दावे की प्रकृति पर विचार करते हुए, ब्याज भुगतान के उद्देश्य से उनकी स्थिति को जमानती लेनदारों के साथ बराबर करना उचित नहीं है। कामगार के लिए ब्याज भुगतान केवल तभी उत्पन्न होगा जब कोई अधिशेष हो, जो नियम 179 के अनुप्रयोग को लागू करता है, अन्यथा नहीं। यह भी उल्लेखनीय है कि नियम 179 के अनुसार, समापन आदेश की तिथि से बाद के ब्याज के लिए ब्याज की पात्रता विवाद में नहीं है। ओएल ने पुष्टि की है कि एक बार स्वीकृत दावों का निपटान हो जाने के बाद, किसी भी अधिशेष निधि का उपयोग नियम 179 के अनुसार लाभांश घोषित करने के लिए किया जाएगा। ये लाभांश कामगार सहित सभी संबंधित पक्षकारगण को वितरित किए जाएंगे।

35. उपरोक्त कारणों के आधार पर, कामगार को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का सुश्री वैद का दावा गुणागुण रहित है और इसे खारिज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुश्री वैद ने यह भी तर्क दिया है कि उपदान भुगतान में कोई ब्याज नहीं जोड़ा गया है। हालांकि, शासकीय समापक इस आरोप का खंडन करता है और कहता है कि उपदान पर ब्याज वास्तव में कामगार को दिया गया है। सुश्री वैद ने अपने दावे को सिद्ध करने या शासकीय समापक के प्राख्यान का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

(IV) <u>निर्देश</u>

36. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(i) कं. आ. 1313/2018 को खारिज किया जाता है।

(ii) देना बैंक और कंसोर्टियम के अन्य सदस्यों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। उक्त बैंकों को अधिरोपित जुर्माने को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर ओएल द्वारा स्वीकार किए गए उनके दावों के अनुपात में सामूहिक रूप से ओएल के पास जमा करने का निर्देश दिया जाता है। ओएल को इस राशि का उपयोग ओएल के परिसमापन खर्चों को पूरा करने और शेष राशि, यदि कोई हो, को कॉमन पूल फंड में जमा करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(iii) ओएल को सूचकांक डी. सं. 66941/2023 के अंतर्गत 16 जनवरी 2023 को ओएल द्वारा दायर की गई गणना शीट के अनुसार, प्रथम प्रभार धारकों और कामगार के साथ-साथ द्वितीय प्रभार धारकों को स्वीकृत देय राशि का वितरण फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यदि इसके अतिरिक्त कोई अतिरिक्त राशि या ब्याज देय है, तो उसे न्यायालय की अनुमति से, ओएल द्वारा यथाशीघ्र वितरित किया जाएगा।

***कं. या.* 539/1998**

37. 1 अगस्त, 2023 को रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।

न्या. संजीव नरूला

जुलाई 19, 2023
एनके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।